प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1142/2011**

याचिकाकर्ता योगेश्वर प्रसाद गेंदले

विरुद्ध

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1499/2011

याचिकाकर्ता संध्या तावडकर

विरुद्ध

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

रिट याचिका (सिविल ) क्रमांक 1559/2011

याचिकाकर्ता अमन मित्तल.

विरुद्ध

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(दिनांक 9 मई, 2011 को निर्णय के लिए सूचीबद्ध)

**सही /-**

**सतीश कुमार अग्निहोत्री**

**न्यायमूर्ति**

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

**<u>रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1142/2011</u>**

याचिकाकर्ता: योगेश्वर प्रसाद गेंदले।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

---

उपस्थित:

याचिकाकर्ता के लिए : श्री आजाद सिद्दीकी, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 01 के लिए: श्री अजय द्विवेदी, उप शासकीय अधिवक्ता, श्री शशांक ठाकुर, पैनल अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 के लिए: श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्रीमती मीरा जायसवाल, अधिवक्ता, ।

---

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1499/2011

याचिकाकर्ता संध्या तावडकर

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

---

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थित:

याचिकाकर्ता के लिए: श्री प्रतीक शर्मा अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 01 के लिए: श्री अजय द्विवेदी, उप शासकीय अधिवक्ता, श्री शशांक ठाकुर, पैनल अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 के लिए: श्री आर.एस.पटेल, अधिवक्ता

---

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1559/2011

याचिकाकर्ता अमन मित्तल.

विरुद्ध

उत्तरवादीगण छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

याचिकाकर्ता के लिए: श्री प्रतीक शर्मा अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 01 के लिए: श्री अजय द्विवेदी, उप शासकीय अधिवक्ता, श्री शशांक ठाकुर, पैनल अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 और 3 के लिए: श्री आर.एस.पटेल, अधिवक्ता

---

**भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका**

**एकल पीठ :माननीय सतीश कुमार अग्निहोत्री न्यायाधीश**

(आदेश पारित दिनांक 09 मई 2011)

1. चूंकि याचिकाकर्तागण के रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1142, 1499 और 1559 वर्ष 2011 के समूह में शामिल तथ्य और विधि के प्रश्न समान हैं, इसलिए इन पर विचार किया जा रहा है और इस एक ही आदेश द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है।
2. याचिकाकर्ता, रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1142/2011 और रिट याचिका क्रमांक 1559/2011 में क्रमशः दिनांक 09.02.2011 (अनुलग्नक पी/3) और 22.12.2010 (अनुलग्नक पी/1) के आदेशों से व्यथित हैं, जिनके द्वारा याचिकाकर्तागण को कक्षा बारहवीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति इस आधार पर अस्वीकृत कर दी गई कि उन्होंने दिल्ली उच्च माध्यमिक परीक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, रायपुर (संक्षेप में 'सी.जी. बोर्ड') द्वारा मान्यता निरस्त कर दी गई थी। रिट याचिका क्रमांक 1499/2011 में, याचिकाकर्ता उत्तरवादीगण को यह निर्देश देने की प्राथना की है कि उसकी कक्षा दसवीं की परीक्षा के प्रमाण पत्र (अनुलग्नक पी/3) को उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा में सम्मिलित होने के प्रयोजन हेतु मान्य एवम वैध घोषित किया जाए।
3. याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का संक्षिप्त विवरण यह हैं कि रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1142/2011 में याचिकाकर्ता ने मां अन्नधारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पहाड़िया, जिला जांजगीर-चाम्पा से कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैतलपुर, जिला बिलासपुर में कक्षा 11 में प्रवेश लिया था। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजपुताना लाल भवन, गोपालपुर ग्राम (तिमारपुर), पोस्ट आज़ादपुर, नई दिल्ली-9 (संक्षेप में 'दिल्ली बोर्ड') से विधिवत संबद्ध था। छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा दिनांक 22.01.2007 के ज्ञापन रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1559/2011 के अनुलग्नक पी/5 के माध्यम से पात्रता और मान्यता संबंधी पुस्तिका क्रमांक 216 जारी की गई थी,,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ के मान्यता प्राप्त संस्थानों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया था कि वे केवल मान्यता प्राप्त बोर्डों द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर ही कक्षा बारहवीं में छात्रों को प्रवेश दें। उक्त पुस्तिका के साथ अनुलग्नक “ए” भी संलग्न किया गया था, जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,दिल्ली को हाई स्कूल परीक्षा हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड के रूप में दर्शाया गया था। उत्तरवादी छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा दिनांक 25.09.2009 के आदेश से दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक डी.इ.23(4)/स्केल/शाखा/2246 दिनांक 16.06.2009 के आधार पर, उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली को प्रदत्त समतुल्यता प्रमाणपत्र को निरस्त कर दिया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि दिल्ली बोर्ड एक मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। इसके पश्चात दिनांक 18.10.2010 के आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 25.09.2009 के आदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2009–2010 के लिए जो दिनांक 16.06.2009 से प्रभावी है, उसके माध्यम से समतुल्यता की मान्यता समाप्त कर दी गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद सिद्दीकी एवं श्री प्रतीक शर्मा ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1142/2011 के याचिकाकर्ता को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बैतालपुर, जिला बिलासपुर में कक्षा 11वीं में प्रवेश दिया गया था तथा तत्पश्चात उसे कक्षा 12वीं में भी प्रवेश प्रदान किया गया। रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1499/2011 एवं 1559/2011 के याचिकाकर्ताओं ने माँ अन्नाधारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पहाड़िया, जिला जांजगीर-चांपा से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो दिल्ली बोर्ड से संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त था। याचिकाकर्ताओं को दिनांक 01.04.2011 को आयोजित होने वाली कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होना था, किंतु विवादित आदेश दिनांक 09.02.2011 (रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1142/2011) एवं 22.12.2010 (रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1559/2011) द्वारा

दिल्ली बोर्ड की मान्यता दिनांक 25.09.2009 से (प्रभावी दिनांक 01.07.2009) निरस्त किए जाने के आधार पर कक्षा 12वीं में याचिकाकर्ताओं का प्रवेश निरस्त कर दिया गया। रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1499/2011 में याचिकाकर्ता को कक्षा 12वीं परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भी प्रदान नहीं किया गया। याचिकाकर्तागण ने यह तर्क दिया गया कि हाई स्कूल परीक्षा का प्रमाणपत्र दिनांक 25.09.2009 के परिपत्र के जारी होने से पूर्व प्राप्त कर लिया था, अतः उक्त परिपत्र याचिकाकर्ताओं के प्रकरण में लागू नहीं होता। दिनांक 22.01.2007 को जारी बुक क्रमांक 216 में दिल्ली बोर्ड की मान्यता स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्तागण ने किसी अमान्य संस्था से कक्षा 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को शैक्षणिक सत्र 2010–2011 हेतु कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, उत्तरवादी –छत्तीसगढ़ बोर्ड की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एच.बी. अग्रवाल, उनके साथ श्रीमती मीरा जैसवाल एवं श्री आर.एस. पटेल ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐसे संस्थानों से उत्तीर्ण की है, जो दिल्ली बोर्ड से मान्यता प्राप्त थे, जबकि दिल्ली बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र स्वयं मान्यता प्राप्त नहीं थे। अतः याचिकाकर्ताओं को कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने एवं अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया कि दिनांक 25.09.2009 के आदेश के अनुसार दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 17.06.2009 के बाद दिल्ली बोर्ड को मान्यता प्राप्त नहीं थी। यह स्पष्ट नहीं है कि इससे पूर्व दिल्ली बोर्ड को मान्यता प्राप्त थी अथवा नहीं। तथापि, दिनांक 25.09.2009 के परिपत्र का दूसरा भाग उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली की

मान्यता वापसी से संबंधित है। दिनांक 18.10.2010 के आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि दिनांक 25.09.2009 का आदेश 16.06.2009 से प्रभावशील माना जाएगा। अतः यह स्पष्ट है कि 16.06.2009 से पूर्व दिल्ली बोर्ड समतुल्यता हेतु विधिवत मान्यता प्राप्त था।

7. दिनांक 25.09.2009 का पत्र (अनुलग्नक पी/1, रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1499/2011) इस प्रकार है:

"शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार पुराना सचिवालय, दिल्ली 54 के पत्र स डी.ई. 23 (4)/स्केल शाखा/2246, दिनांक 17.06.09 के अनुसार बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एज्युकेशन, दिल्लै राजपूताना लाल भवन, गोपालपुर गांव (तिमारपुर) डाकघर आजापुर, नई दिल्ली -- 9 को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त नहीं है। मानव संसाधन विकास मंवालय, भारत सरकार के पत कमांक एन.ए.-19.04.04 एस.सी.एच 3 नई दिल्ली दिनांक 24 नवंबर 2008 में यह स्पष्ट किया गया कि "उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, ग्राम कर्कार्दुमा, नई दिल्ली, ना तो भारत सरकार द्वारा स्थापित है और ना ही मान्यता प्राप्त है।" अर्थात उक्त संस्था अवैधानिक संस्था है।

अतः छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी एज्युकेशन दिल्ली की हाई स्कूल परीक्षा की समकक्षता समाप्त करती है तथा माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर के द्वारा संचालित शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अमान्य की जाती है I

8. उत्तरवादी - छत्तीसगढ़ बोर्ड ने अपने प्रत्युत्तर (जो रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1142/2011 में दायर किया गया) में स्पष्ट रूप से कहा है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 16.06.2009 की कट-ऑफ तिथि निर्धारित कर दिल्ली बोर्ड की मान्यता शैक्षणिक सत्र 2009–2010 के लिए वापस ले ली है। अतः, किसी भी वर्ष हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करने के बावजूद, दिल्ली बोर्ड का प्रमाणपत्र आगे मान्य नहीं किया जा सकता। इसका आशय निम्नानुसार है—

"8.2. ... यह स्पष्ट है कि उत्तरदायी प्रतिवादियों द्वारा 16.06.2009 की कट-ऑफ तिथि निर्धारित कर दिल्ली बोर्ड की मान्यता वापस ले ली गई है, अर्थात् शैक्षणिक सत्र 2009–10 से। इसलिए, किसी भी वर्ष दिल्ली बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद, दिल्ली बोर्ड का प्रमाणपत्र उक्त कट-ऑफ तिथि के बाद मान्य नहीं किया जा सकता, जैसा कि दिनांक 30.07.2009 तथा 18.10.2010 के परिपत्रों में उल्लेखित है।"

9. पुस्तिका क्रमांक 216 के आगे अवलोकन से, जिसमें समानीकरण का प्रावधान है, यह स्पष्ट है कि दिल्ली बोर्ड को छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त थी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि 16.06.2009 से पूर्व याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त एवं दिल्ली बोर्ड द्वारा जारी किए गए सभी परीक्षा प्रमाणपत्र आगे की कक्षाओं में प्रवेश तथा तत्पश्चात परीक्षाओं में प्रवेश के उद्देश्य से अमान्य हो गए हैं। इस बात में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने 16.06.2009 से पूर्व दिल्ली बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं की परीक्षा का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।

10. इस न्यायालय ने एक अन्य प्रकरण, अर्थात **अमित किण्डो एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य**[1] में, जिसमें समान प्रश्न सम्मिलित था, भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया और निम्नानुसार टिप्पणी की—

"उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, यह रिट याचिका अंतिम रूप से इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि यदि याचिकाकर्ता 16.06.2009 से पूर्व कक्षा–X की परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर आगामी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अपने परीक्षा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते हैं, तो बोर्ड द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 25.09.2009

[1] रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 364/2011, निर्णय दिनांक 23/02/2011

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(अनुलग्नक पी/1) में उल्लिखित आधारों पर उनके आवेदन-पत्र अस्वीकार नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उक्त आदेश याचिकाकर्ताओं के मामले पर लागू नहीं होगा।”

11. उपर्युक्त तथ्यों एवं ऊपर वर्णित कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तरवादी – छत्तीसगढ़ बोर्ड को निर्देशित किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ताओं ने 16.06.2009 से पूर्व दिल्ली बोर्ड से कक्षा–X का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, तो उन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने तथा कक्षा–XII की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए।

12. तदनुसार, उपर्युक्त सभी रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By ......SHUBHA SHRIVASTAVA...........